उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-82/3157/पांच-8-2016-जी0(255)/2016
लखनऊ : दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2406/पांच-8-2012-म0(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा डा0 आफाक अहमद, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, हाथरस के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। अगस्त, 2014 में डा0 अहमद का स्थानान्तरण जनपद-महराजगंज किया गया। डा0 अहमद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अवकाश का प्रार्थना पत्र दिये बिना ही दिनांक 01-12-2015 से 31-05-2016 तक का अवैतनिक अवकाश का दिनांक रहित प्रार्थना पत्र देकर अपने चिकित्सकीय कार्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति हो गये। 6 माह उपरान्त अपनी अपनी माता की बीमारी का कारण दर्शाते हुए दिनांक 27-06-2016 को मुख्य चिकित्साधिकारी, महराजगंज के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हुए। डा0 अहमद को कार्य पर उपस्थित होने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, महराजगंज के पत्र दिनांक 20-01-2016, 09-03-2016 एवं 05-05-2015 द्वारा सूचित किया गया था, परन्तु डा0 अहमद कार्य पर उपस्थित नहीं हुए। उक्त से यह परिलक्षित होता है कि वे नियमों के विरूद्ध अनधिकृत रूप से दिनांक 01-12-2015 से 26-06-2016 तक अनुपस्थित रहे। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र दिनांक 24-08-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 आफाक अहमद, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, महराजगंज के अधीन कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- डा0 आफाक अहमद, चिकित्साधिकारी के दिनांक 01-12-2015 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहते हुए शासकीय कार्यो से विरत रहने आदि आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत डा0 आफाक अहमद के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को जांच अधिकारी नामित करने के एतद्द्वारा श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या-82/3157(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 आफाक अहमद, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित कराते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को अनुमोदित आरोप पत्र की 02 प्रतियां साक्ष्यों सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति अपचारी चिकित्साधिकारी को तामील कराकर तामीली की सूचना एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध करायें।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, महराजगंज को इस आशय से प्रेषित डा0 आफाक अहमद को कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करायें।

6- कोषाधिकारी, महराजगंज।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी(द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर)।

8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-86/3085/पांच-8-2016-जी0(126)/2016
लखनऊ : दिनांक 04 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-609/चि0-3-2010-03(नियुक्ति)/2009टी0सी0, दिनांक 08-03-2010 द्वारा डा0 प्रभात कुमार, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के अधीन नियुक्ति/ तैनाती प्रदान की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के आदेश दिनांक 25-09-2010 द्वारा डा0 प्रभात कुमार की तैनाती नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बासुचक, गाजीपुर में की गयी थी। डा0 कुमार द्वारा दिनांक 29-09-2010 को नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बासुचक, गाजीपुर में कार्यभार ग्रहण किया गया। वर्ष 2011 में डा0 प्रभात कुमार का चयन एम0डी0(बाल रोग) में हो गया। डा0 कुमार दिनांक 20-05-2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पी0जी0 अध्ययन की अनुमति एवं अनापत्ति की प्रत्याशा में पी0जी0 अध्ययनरत हो गये। डा0 प्रभात कुमार द्वारा पी0जी0 कोर्स दिनांक 05-07-2014 को पूर्ण किया गया। डा0 प्रभात कुमार द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करना चाहिए था, परन्तु कार्यभार ग्रहण करने के बजाय वे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गये। लम्बी अवधि के उपरान्त पत्र दिनांक 13-07-2016 द्वारा पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 21-07-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 प्रभात कुमार, चिकित्साधिकारी को जिला चिकित्सालय, गाजीपुर में कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- डा0 प्रभात कुमार, चिकित्साधिकारी को दिनांक 05-07-2014 को पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 06-07-2014 से दिनांक 13-07-2016 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहते हुए शासकीय कार्यो से विरत रहने आदि आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत डा0 प्रभात कुमार के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को जांच अधिकारी नामित करने के एतद्द्वारा श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-86/3085(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 प्रभात कुमार, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित कराते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को अनुमोदित आरोप पत्र की 02 प्रतियां साक्ष्यों सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति अपचारी चिकित्साधिकारी को तामील कराकर तामीली की सूचना एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध करायें।

5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित डा0 प्रभात कुमार को कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करायें।

6- कोषाधिकारी, गाजीपुर।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी(द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी)।

8- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।